निदेशालय विकलांग कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांकः E-428 /वि0क0/बचपन/2014-15 लखनऊ दिनांकः 15 मई, 2014.

जिला विकलांग कल्याण अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी,
लखनऊ/इलाहाबाद/वाराणसी/बरेली/आगरा/झांसी,
गौतमबुद्ध नगर/सहारनपुर।

विषयः वित्तीय वर्ष 2014-15 में बचपन डे केयर सेन्टर्स के संचालन के लिए प्रथम चार माह हेतु बजट आवंटन।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2014-15 के प्रथम चार माह हेतु बचपन डे केयर सेन्टर्स के संचालन हेतु आयोजनेत्तर पक्ष में आबंटन आदेश सं0- 004-301 -. दिनांक- 12.05.2014 (संलग्नक-1) में किये गये आबंटन के अनुसार कुल रू0 31,85,100/- (रू0 इकत्तीस लाख पच्चासी हजार एक सौ मात्र) की धनराशि आप के निवर्तन पर रखी जाती है। वित्तीय नियन्त्रण की दृष्टि से निदेश दिये जाते हैं कि उक्त धनराशि का व्यय (संलग्नक-2) में दर्शायी गयी मदों के सम्मुख अंकित धनराशि के अनुसार किया जायेगा और किसी भी दशा में किसी भी मद में उसके सम्मुख अंकित धनराशि से अधिक का व्यय अथवा दायित्व का सृजन बिना निदेशालय की अनुमति के नहीं किया जायेगा। उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित नियम व शर्तो के अधीन व्यय की जायेगी :-

शर्ते एवं प्रतिबंध

1- उपर्युक्त धनराशि के व्यय हेतु शासन के पत्र सं0-1874/65/2/2009-53(बजट)/2008 दि0-16.10.09 द्वारा अनुमोदित निदेशालय के पत्र सं0-1775/वि0क0/ब0संचा0/2009-10 दि0 20 अगस्त ,09 के साथ संलग्न बचपन डे केयर सेन्टर्स का संचालन प्रस्ताव में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सुसंगत वित्तीय नियमों, आदेशों तथा मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

3- आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा। धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

4- विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय के नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1195/दस-16/1994, दिनांक 6 जून, 1994 तथा शासनादेश संख्या-बी-2337/दस-97, दिनांक 21.11.1997 द्वारा निर्गत निर्देशों का भी कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिस प्रयोजन के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता माना जायेगा जिसका उत्तर दायित्व जिला विकलांग कल्याण अधिकारी का होगा।

6- मासिक व्यय विवरण प्रपत्र बी0एम0-8 पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक निदेशक, विकलांग कल्याण को उपलब्ध कराया जायेगा। बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जाने वाली सूचना तथा उसके सम्बन्ध में कलैण्डर के संकलित प्रारूप का उल्लेख मुख्य सचिव के अर्ध्दशासकीय पत्र संख्या-3318/दस-22-98, दिनांक 28.07.1998 में किया गया है।

7- बचपन डे केयर सेन्टर के लिए मानदेय मद के सम्मुख अंकित धनराशि में मुख्यालय पर कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटर के मानदेय की रू0 30000/- की धनराशि भी समाहित है जिसका आहरण जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, लखनऊ द्वारा समय-समय पर करके सम्बन्धित सेवाप्रदाता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

8- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय उपरोक्त आबंटन आदेश सं0- 004-301 -. दिनांक- 12.05.2014 में उल्लिखित मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

9- जिला विकलांग कल्याण अधिकारी द्वारा बचपन डे केयर सेन्टर्स का निरीक्षण 15 दिन में एक बार तथा सम्बन्धित उपनिदेशक द्वारा तीन माह में एक बार निरीक्षण अवश्य किया जायेगा तथा निरीक्षण आख्या निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

10- उक्त आवंटन निदेशालय की अनुदान पंजिका के पृष्ठ सं0- 24 पर अंकित हैं।

भवदीय,

संलग्नकः- यथोक्त।

(के0 एन0 सिंह)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसारः

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम)/अडिटर-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, विकलांग कल्याण अनुभाग-2
3. संबंधित उपनिदेशक।
4. समस्त समन्वयक, बचपन डे केयर सेन्टर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, बरेली, आगरा, झांसी, गौतमबुद्ध नगर, सहारनपुर।

(के0 एन0 सिंह)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी।

Yojna-A